कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 2841 /FP/UK/SCH/40755/2019 दिनॉकःदेहरादून 16 जून, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः–जनपद–देहरादून में ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या–1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 हे0 वन भूमि का नवीनीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/SCH/40755/2019**)

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 28.01. 2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 28.01.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 2336 / 12–1(1) दिनांक 09.06.2021 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान विद्यालय भवन वर्ष 1978 में आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश द्वारा फैक्ट्री एवं टाउनशिप के निर्माण के साथ ही बनाया गया था।
2. केन्द्रीय विद्यालय, ऋषिकेश के भवन नवीनीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के लिए वर्तमान में संचालित विद्यालय की भूमि ही प्रस्तावित की गयी है, जो उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु सर्वदा उपयुक्त है, क्योंकि यह प्रतिपादित केन्द्रीय विद्यालय नियमों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम भूमि (5 एकड़ अर्थात 2.023 हे0) के नियम को पूर्ण करता है, जिसके अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न है। उक्त विद्यालय वर्ष 1978 से वर्तमान तक इसी भूमि पर संचालित हो रहा है।
3. उक्त चयनित वन भूमि पर विद्यार्थियों के संर्वागीण विकास हेतु निम्न गतिविधियों को विस्तारित किया जाना प्रस्तावित किया गया हैः–
   - वर्तमान में यह विद्यालय दो सेक्शन में संचालित है, जिसको चार सेक्शन में परिवर्तित किया जाना है।
   - विद्यार्थियों के खेलकूद गतिविधियों हेतु मुक्त व्यायामशाला, फुटबॉल खेल मैदान, बॉलीबॉल कोर्ट, एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट के साथ–साथ किकेट मैदान का भी निर्माण।
   - बहुउद्देशीय भवन, कम्पोजिट पिट, मैथमेटिक्स गार्डन, चिल्ड्रनस पार्क, प्रार्थना सभा मंच / स्थल व विद्यालय कैन्टीन के निर्माण के अतिरिक्त अन्य विविध गतिविधियों का विस्तारीकरण।

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार आख्या की विवेचना / परीक्षण करने के उपरान्त संज्ञानार्थ है कि उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा पूर्व में निर्गतं ई0डी0एस0 के प्रस्तर–2 के अनुसार जहां तक पहाड़ी क्षेत्र में 4 एकड़ अर्थात 1.618 हे0 पर विद्यालय का निर्माण

किये जाने की अनुमति दिये जाने पर विचार करने का प्रश्न है तो अभिकथित विद्यालय के उक्तानुसार विस्तारण हेतु प्रस्तावित गतिविधियों हेतु यह भूमि पर्याप्त नहीं होगी, फलस्वरूप वर्तमान में संचालित विद्यालय की 2.41 है0 भूमि का चयन किया गया है, जिसका अन्य कोई विकल्प (पूर्व में किये गये वैकल्पिक संरेखण की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है) उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक / **FP/UK/SCH/40755/2019/** दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2336/12–1(1) दिनांक 09.06.2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।